

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 232 / 2011 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 29-08-2011

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
एण्डोरी जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. बीरेन्द्रसिंह पुत्र मुंशीसिंह तोमर, उम्र 43 वर्ष।
 2. धर्मपाल पुत्र सरमनसिंह तोमर, उम्र 33 वर्ष।
 3. दुलारेसिंह पुत्र त्रिलोकसिंह तोमर, उम्र 50 वर्ष।
 4. चतुरेसिंह पुत्र तहसीलदारसिंह तोमर, उम्र 31 वर्ष।
 5. नरेन्द्रसिंह पुत्र शिवसिंह तोमर, उम्र 45 वर्ष।
 6. गब्बरसिंह पुत्र दुलारेसिंह तोमर, उम्र 25 वर्ष।
 7. खडकसिंह पुत्र देवीसिंह तोमर, उम्र 25 वर्ष।
 8. बल्लू उर्फ सुरेन्द्रसिंह पुत्र शिवसिंह तोमर, उम्र 35 वर्ष।
 9. देवीसिंह पुत्र मुंशीसिंह तोमर, उम्र 59 वर्ष।
 10. मुंशीसिंह पुत्र गेंदालाल तोमर उम्र 85 वर्ष।
 11. तहसीलदार पुत्र त्रिलोकसिंह तोमर उम्र 65 वर्ष।
 12. भोलासिंह पुत्र बीरेन्द्र सिंह तोमर, उम्र 25 वर्ष।
- समस्त निवासीगण ग्राम खनेता थाना एण्डोरी,
जिला भिण्ड म0प्र0

-----अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री मनीष शर्मा
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0कं0 651 / 2011 इ0फौ0
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण कं0 232 / 2011

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्तगण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।

// दोषमुक्ति आदेश अंतर्गत धारा 232 दं.प्र.सं.//

// आज दिनांक 30-12-2016 को घोषित किया गया//

01. आरोपी बीरेन्द्रसिंह का विचारण धारा 302 विकल्प में धारा 302/149, 307 विकल्प में धारा 307/149, 148, 294 भा.द.वि के आरोप के संबंध में तथा शेष आरोपीगण गब्बर, नरेन्द्र, चतुरी, मुंशीसिंह, दुलारे, बल्लू उर्फ सुरेन्द्र, तहसीलदार, खडकसिंह, भोला, देवीसिंह एवं धर्मपाल का विचारण धारा 302/149, 307/149, 148 एवं 294 भा.द.वि के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। आरोपीगण पर आरोप है कि दिनांक 22.05.2011 विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य रविन्द्रसिंह की हत्या व हत्या के प्रयास का था उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए वल हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया और इस दौरान घातक आयुध लाइसेंसी बंदूक से सुसज्जित थे। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान रविन्द्रसिंह की हत्या करने के आशय से उस पर लाइसेंसी 315 बोर की बंदूक से इस प्रकार से फायर किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के दोषी होते। वैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि उनके द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए उपरोक्त आहत रविन्द्रसिंह की हत्या करने का प्रयत्न किया और इस दौरान उसे उपहति कारित की। आरोपी बीरेन्द्र पर यह भी आरोप है कि साशय या जानबूझकर रविन्द्रसिंह की हत्या कारित की। उक्त आरोपी तथा अन्य सहआरोपीगण पर यह आरोप भी है कि उनके द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए रविन्द्रसिंह की मृत्यु कारित कर हत्या की। आरोपीगण पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर सार्वजनिक स्थान या उसके निकट अभियोगी व अन्य को अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया।

02. यह अविवादित है कि आरोपीगण एवं फरियादी पूर्व से एक दूसरे को जानते पहचानते हैं।

03. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 22.05.2011 के शाम के साढ़े 6 बजे की बात है फरियादी रामाधार अपने चाचा अमरसिंह, गजेन्द्रसिंह, रविन्द्रसिंह भाई अशोकसिंह व चचेरे चाचा हरेन्द्र आपस में सुबह हुए झगड़े के संबंध में चर्चा कर रहे थे, इसी दौरान बीरेन्द्रसिंह 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक, मुंशीसिंह 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक, देवेन्द्रसिंह अपनी रिवाल्वर लाइसेंसी, धर्मपाल 315 बोर की अधिया, चतुरे 315 बोर की अधिया, खडकसिंह व दुलारे कट्टा, तहसीलदार फर्सा, बबलू अधिया, नरेन्द्र 12 बोर एकनाली बंदूक व गब्बर 12 बोर का कट्टा लेकर आए और आकर माँ बहन की गालियाँ देकर बोले कि अब क्या देखते हो सालों को जान से खत्म कर दो। इसके पश्चात् बीरेन्द्रसिंह

ने जान से मारने की नियत से अपने 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक से फायर किया जो रविन्द्रसिंह की बाएं तरफ के दिल के पास लगकर घालय हो गया और अन्य आरोपीगण ने भी एकराय होकर के अपनी बंदूकों एवं कट्टा आदि से जान से मारने की नियत से फायर करने लगे। फरियादीगण अपनी जान बचाकर भाग गए। गोली की आवाज सुनकर दरोगा उर्फ राजेन्द्रसिंह तोमर व मोनूसिंह आ गए जिनको देखकर आरोपीगण भाग गए। आहत रविन्द्रसिंह को इलाज हेतु सी.एच.सी. गोहद लाया गया, जहाँ पर पुलिस के द्वारा घटना के संबंध में देहातीनालसी रिपोर्ट प्र.पी. 25 की लिखी गई। आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाकर उसे आगे इलाज के लिए जे.ए.एच ग्वालियर रेफर किया गया। अपराध की असल कायमी अपराध क्रमांक 75/2011 पर की गई। प्रकरण की विवेचना आगे की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी एवं सादा मिट्टी जप्त की गई। दौरान विवेचना बीरेन्द्रसिंह लाइसेंसी 315 बोर की रायफल व मुंशीसिंह से लाइसेंसी 315 बोर की माउजर बंदूक एवं देवीसिंह से रिवाल्वर लाइसेंसी जप्त किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 294 भा0दं0वि0 के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो कि उपार्षण होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण के विचारण के दौरान आहत रविन्द्र की मृत्यु दिनांक 09.07.2012 को हो जाने के कारण उसकी मृत्यु पर मर्ग कायम किया गया और मर्ग की जाँच की गई, मृतक का शव परीक्षण कराया गया। इस दौरान यह पाया गया कि रविन्द्र जिसका इलाज ग्वालियर में चल रहा था इलाज के दौरान जो कि उपरोक्त घटना में उसे चोटें आई थी उससे उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर धारा 302 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोपीगण का विचारण करने हेतु आवेदनपत्र पेश किया गया जिस पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 302, 302/149 भा0दं0वि0 का इजाफा किया गया।

04. आरोपी बीरेन्द्रसिंह के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 302 विकल्प में धारा 302/149, 307, 307/149, 148, 294 भा.द.वि तथा शेष आरोपीगण गब्बर, नरेन्द्र, चतुरी, मुंशीसिंह, दुलारे, बल्लू उर्फ सुरेन्द्र, तहसीलदार, खडकसिंह, भोला, देवीसिंह एवं धर्मपाल के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 302, 302/149, 307/149, 148 एवं 294 भा.द.वि का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।

06. आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-
1. क्या दिनांक 09.07.2012 को आहत रविन्द्र की मृत्यु हुई?
 2. क्या मृतक रविन्द्रसिंह की मृत्यु सदोष मानव वध की कोटि का है?
 3. क्या आरोपी बीरेन्द्रसिंह के द्वारा सआशय या जानबूझकर मृतक की मृत्यु कारित कर हत्या की गई?
 4. क्या अन्य आरोपीगण गब्बर, नरेन्द्र, चतुरी, मुंशीसिंह, दुलारे, बल्लू उर्फ सुरेन्द्र, तहसीलदार, खडकसिंह, भोला, देवीसिंह एवं धर्मपाल के द्वारा रविन्द्र सिंह की हत्या का सामान्य आशय निर्मित किया गया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए सहआरोपी बीरेन्द्रसिंह के द्वारा रविन्द्र को गोली जिससे उसकी हत्या कारित हुई?
 5. क्या आरोपीगण के द्वारा दिनांक 22.05.2011 विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य रविन्द्रसिंह की हत्या व हत्या के प्रयास का था उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए वल हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया और इस दौरान घातक आयुध लाइसेंसी बंदूक से सुसज्जित थे।
 6. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान रविन्द्रसिंह की हत्या करने के आशय से उस पर लाइसेंसी 315 बोर की बंदूक से इस प्रकार से फायर किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के दोषी होते।
 7. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक स्थान पर सार्वजनिक स्थल पर उसके निकट फरियादी पक्ष को अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 7 :-

07. रविन्द्रसिंह को आई हुई चोटें एवं उसकी मृत्यु का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 5 जिन्होंने कि आहत का दिनांक 22.05.2011 को चिकित्सीय परीक्षण किया है। आहत रविन्द्र के सीने में बाईं तरफ घाँव होने पाए गए थे जो कि अग्नेयशस्त्र से चोट आना पाया गया था और उनके द्वारा जे.ए.एच. ग्वालियर रिफर किया गया था। इस संबंध में मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 8 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त रविन्द्रसिंह जिसकी कि मृत्यु बाद में हो गई थी उसका पोस्टमार्टम डॉक्टर धीरज गुप्ता अ0सा0 11 के द्वारा किया गया है। जिन्होंने मृतक के दिल व स्वशन के रुक जाने के कारण

मृतक की मृत्यु का कारण बताया है जो कि सेप्टीसीमियाँ पुरानी चोट के कारण हानिकारक प्रभाव से उसकी मृत्यु हो जाना बताया है जो कि प्र.पी. 22 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

08. इस प्रकार आहत रविन्द्रसिंह को चोटें आना एवं बाद में उनकी मृत्यु हो जाना उक्त चिकित्सीय साक्ष्य से स्पष्ट है और इस संबंध में अभियोजन साक्षी सुमन अ0सा0 16, राजेश सिंह अ0सा0 15, बृजेन्द्रसिंह अ0सा0 8 के कथनों से भी घटना के पश्चात् रविन्द्र का इलाज चलना और इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाने का तथ्य स्पष्ट होता है। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या रविन्द्रसिंह को उक्त चोट आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए और उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए पहुँचाई गई जिससे कि रविन्द्रसिंह की मृत्यु हुई?

09. घटना के पश्चात् सर्वप्रथम घटना की सूचना जो कि देहातीनालसी के रूप में लिखी गई है वह रामाधार अ0सा0 14 के द्वारा दर्ज कराई गई है। उक्त साक्षी के द्वारा घटना स्थल पर वर्तमान आरोपीगण के मौजूद होने अथवा उनके द्वारा ही कोई गोली चलाए जाने के संबंध में कोई भी तथ्य नहीं बताया है। इस संबंध में अभियोजन के द्वारा घटना के अन्य चक्षुदर्शी बताए गए साक्षी अमरसिंह अ0सा0 1, अशोकसिंह तोमर अ0सा0 2, हरेन्द्रसिंह अ0सा0 3, मोनू तोमर अ0सा0 7, बृजेन्द्रसिंह अ0सा0 8, गजेन्द्र अ0सा0 9, दीपू सिंह तोमर अ0सा0 10 एवं राजेशसिंह अ0सा0 15 तथा सुमन अ0सा0 16 के कथनों में भी वर्तमान आरोपीगण या उनमें से किसी के घटनास्थल पर मौजूद होने अथवा उनके द्वारा कोई भी कृत्य किये जाने के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं आई है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में आरोपीगण या किसी आरोपी के घटनास्थल पर मौजूद होने अथवा उनके द्वारा कोई कृत्य किये जाने अथवा उनके द्वारा कोई गाली गलोज कर फरियादी अथवा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किए जाने के बारे में आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराए जाने हेतु कोई साक्ष्य होनी नहीं पाई जाती है।

10. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी हरगोविंद सिंह अ0सा0 13, नायकसिंह अ0सा0 12, योगेन्द्रसिंह अ0सा0 17, आर0एस0भदौरिया अ0सा0 18 जो कि विवेचना से संबंधित साक्षीगण हैं। उक्त साक्षीगणों के कथनों के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता अथवा उन्हें दोषसिद्ध ठहराए जाने का कोई आधार नहीं हो सकता है।

11. जहाँ तक प्रकरण में आरोपीगण मुंशीसिंह, बीरेन्द्र सिंह व देवीसिंह से अग्नेयशस्त्र की

जप्ती का प्रश्न है। इस संबंध में उक्त आरोपीगण की लाइसेंसी बंदूक जप्त की जानी बताई गई है। उक्त अग्नेयशस्त्र जो कि परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए हैं। राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भी कहीं ऐसा तथ्य नहीं आया है कि घटना में चलाई गई गोली जप्तशुदा अग्नेयशस्त्र से चलाई गई हो। प्रकरण में अन्य आरोपीगण को घटना में आलिप्त करने हेतु कोई भी साक्ष्य जिसके आधार पर कि आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराया जा सके मौजूद नहीं है।

12. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख में आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराए जाने हेतु कोई भी साक्ष्य विद्यमान होनी नहीं पाई जाती है। अतः आरोपी बीरेन्द्रसिंह को धारा 302 विकल्प में धारा 302/149, 307 विकल्प में धारा 307/149, 148, 294 भा.द.वि तथा शेष आरोपीगण गब्बर, नरेन्द्र, चतुरी, मुंशीसिंह, दुलारे, बल्लू उर्फ सुरेन्द्र, तहसीलदार, खडकसिंह, भोला, देवीसिंह एवं धर्मपाल को धारा 302/149, 307/149, 148 एवं 294 भा.द.वि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13. प्रकरण में जप्त सुदा खून आलुदा मिट्टी सादा मिट्टी एवं टूटे बुलेट के टुकड़े और एक कारतूस का खोका तथा बिसरा एवं नमक का घोल मूल्य हीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाये। आरोपी बीरेन्द्रसिंह से जप्तशुदा एक रायफल 315 बोर न0 90ए.बी. 0834 एवं तीन कारतूस 315 बोर के जिंदा तथा आरोपी मुंशीसिंह तोमर के आधिपत्य से जप्तशुदा बताई गई एक माउजर 315 बोर की बंदूक मय लाइसेंस के एवं आरोपी देवीसिंह के आधिपत्य जप्तशुदा बताई गई रिवाल्वर डी-7308 मय लाइसेंस के अपील अवधि पश्चात् उनके स्वामित्व के संबंध में प्रमाण पेश होने पर तथा उनके संबंध में वैध एवं प्रभावी लाइसेंस पेश होने पर उसके वैध स्वामी को वापस किये जावे। अपील होने के दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी.सी.थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

(डी.सी.थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0